## <u>न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र.</u> (आप.प्रक.क्रमांक :— 139/2016)

<u>(संस्थित दिनांक :- 29 / 03 / 2016)</u>

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :– मौ जिला–भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन

## // विरुद्ध //

01. चॉदबाबू खॉ पुत्र वासिम खॉ, उम्र 43 वर्ष। निवासी:— उपर टोला मौ, थाना—मौ, जिला—भिण्ड (म.प्र.)।

..... अभुयक्त।

## <u>// निर्णय//</u>

( आज दिनांक : 03 / 11 / 2017 को घोषित )

- 01. अभियुक्त चॉद खॉ पर धारा 294 एवं 327 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपी ने दिनांक : 09/02/2016 को दोपहर लगभग 12:00 बजे फरियादी आशिक खॉ की दुकान स्थित सेन्ट्रल बैंक के पास मौ में, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी आशिक को मॉ—बहन की अश्लील गालियॉ देकर क्षोभ कारित किया एवं फरियादी आशिक खॉ से शराब पीने के लिए 300/— रूपये उद्दापित करने के प्रयोजन से फरियादी आशिक खॉ की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 02. प्रकरण में आरोपी चॉद खॉ एवं फरियादी आशिक के मध्य राजीनामा होना एक निर्विवादित तथ्य है एवं प्रकरण में आरोपी सत्तार पूर्व से फरार है, जिसके विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 09/02/2016 को दोपहर लगभग 12:00 बजे फरियादी आशिक खॉ की दुकान स्थित सेन्ट्रल बैंक के पास मौ में, आरोपीगण चॉद खॉ एवं सत्तार द्वारा फरियादी आशिक से गाली—गलौच करने एवं शराब पीने के लिए 300/— रूपये मांगने, ना देने पर उसकी मारपीट करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी आशिक द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में उक्त आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 35/2016 अन्तर्गत धारा 294 एवं 327 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फरियादी आशिक, अल्ताफ उर्फ सेटो एवं अशोक के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्त चॉद खां के विरूद्ध धारा 294 एवं 327 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपी चॉद खां एवं फरियादी आशिक के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 294 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपी चॉद खां ने दिनांक :— 09/02/2016 को दोपहर लगभग 12:00 बजे फरियादी आशिक खॉ की दुकान स्थित सेन्ट्रल बैंक के पास मौ में, फरियादी आशिक खॉ से शराब पीने के लिए 300/— रूपये उद्दापित करने के प्रयोजन से फरियादी आशिक खॉ की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की?
  - 02. अंतिम निष्कर्ष ?

## सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

फरियादी आशिक अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है 06 कि वह आरोपीगण सत्तार खॉ एवं चॉद बाबू को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 09 / 10 / 2017 से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व की है, तारीख एवं महीना उसे याद नहीं है। साक्षी आगे कहता है कि वह घटना दिनांक को अपनी दुकान पर 10—11 बजे खड़ा था। तभी आरोपी चॉद बाबू एवं सत्तार ने उसे मॉ—बहन की गालियॉ दी थी। आरोपीगण ने उसकी दुकान पर ठेले में जो रूई रखी थी, उसे पलट दिया। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी सत्तार ने उसे धमकी दी थी कि वह उसके घर पर कट्टा रख देगा और उसे पकडवा देगा। साक्षी आगे कहता है कि उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मौ में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल का नक्शा–मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका ईलाज कराया था एवं ध ाटना के संबंध में पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही ध गोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी आशिक अ.सा.01 ने आरोपी चॉद खॉ द्वारा दिनांक :- 09/02/2016 को दोपहर लगभग 12:00 बजे उसकी दुकान स्थित सेन्ट्रल बैंक के पास मौ में, उससे शराब पीने के लिए 300/- रूपये उद्दापित करने के प्रयोजन से उसकी मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत फरियादी आशिक अ.सा.01 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई, प्रथम सूचना सूचना प्र.पी.01 एवं पुलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।

- 07. आरोपी एवं फरियादी के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख पर है और फरियादी आशिक खॉ अ.सा.01 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।
- 08. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी चॉद खॉ ने दिनांक :— 09/02/2016 को दोपहर लगभग 12:00 बजे फरियादी आशिक खॉ की दुकान स्थित सेन्ट्रल बैंक के पास मौ में, फरियादी आशिक खॉ से शराब पीने के लिए 300/— रूपये उद्दापित करने के प्रयोजन से फरियादी आशिक खॉ की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 09. अभियोजन आरोपी चॉद खॉ के विरूद्ध धारा 327 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 327 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- 10. अभियुक्त चॉद खॉ की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
- 11. प्रकरण में आरोपी सत्तार के संबंध में विचारण एवं निर्णय अभी शेष हैं। इसलिए प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से यह टीप अंकित की जाये कि प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद (पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद